

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक-

संकल्प

विषय : योजना एवं गैर-योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- एम.4-53/2007-96 वि.(2) दिनांक 03.01.08 की कंडिका 5 में पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति की प्रक्रिया, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1/बी.-12/2003-2676(एस) अनु. दिनांक 15.05.05 द्वारा निर्गत लोक निर्माण सचिवालय (संशोधित) के क्लॉउज 123 के प्रावधान एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर.-02/2007- 602 दिनांक 20.03.07 की कंडिका 7 (iii) में स्वीकृत परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति में विरोधाभास होने के कारण विभिन्न विभागों के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

2. उपरोक्त के आलोक में तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या मं0मं0-01/आर.-02/2007- 602 दिनांक 20.03.07 की कंडिका 7 (iii) में दिये गये प्रावधान के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम.4-53/2007-96 वि.(2) दिनांक 03.01.08 की कंडिका 5 के प्रावधान को विलेपित किया जाता है और निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 दिनांक 03.01.08 की कंडिका 4 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।"

3. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञापक: एम.4-53/2007-

वि0(2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञापक: एम.4-53/2007-

20/10 वि0(2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

A-1713108